ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 95-97

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

भारतीय समाज में महिलाओं की राजनैतिक अगुवाई

यशी कौशिक

शोध अध्येता– समाजशास्त्र विभाग, उदय प्रताप कालेज, वाराणसी (उ0प्र0), भारत

Received- 28 .10. 2021, Revised- 04.11. 2021, Accepted - 08.11.2021 E-mail: yashikaushik111@gmail.com

सारांशः ***किसी भी सभ्य समाज की सही स्थिति का आकलन उस समाज में महिलाओं की दशा और दिशा देखकर ही कर सकते है। महिलाओं की स्थिति में समय काल के अनुसार परिवर्तन होता रहता है जिसका असर उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन पर भी पड़ता है। समय के साथ भारतीय समाज में भी अनेक परिवर्तन हुये जिसका असर महिलाओं की स्थिति पर भी हुआ। भारत में महिलाओं की स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार चढ़ाव आते रहें है तथा उनके अधिकरों में भी तद्नरूप बदलाव भी होते रहें है। वैदिक युग में जहां स्त्रियों की स्थिति काफी सुदृढ़ थी और उन्हें राजनैतिक हस्तक्षेप का अधिकार था, वहीं मध्य काल के दौरान महिलाओं को कई कुरीतियों का सामना करना पड़ा जिससे उनकी स्थिति में काफी गिरावट देखी गयी। कई सामाजिक सुधारों के फलस्वरूप आधुनिक काल में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और यहां तक की राजनैतिक स्थिति में भी काफी सकरात्मक बदलाव आया। वर्तमान में भारत की महिलायें अपने अधिकारों को लेकर सचेत हुई है और उनकी राजनैतिक महत्वकांक्षा भी बढ़ी है। आज महिलाओं को राजनीति में आगे ले जाने के लिए कई तरह के सरकारी प्रयास भी हो रहें है। आरक्षण के जरिये संसद से पंचायत तक महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई गयी है। पिछले कुछ वर्षो में चुनावों में मतदाता के रूप में भी महिलाओं की भूमिका बढ़ी। अनेक राज्यों में हुये विभिन्न चुनावों में महिलायें पुरूषों के सामान मतदान कर रही है। जबकि कई स्थानों पर वे पुरूषों की तुलना में अधिक मतदान कर रही हैं। इसके अलावा अब महिलायें अपने राजनैतिक पसंद को लेकर भी स्वायत्त हो रही है।***

कुंजीभूत शब्द–राजनैतिक जीवन, भारतीय समाज, बहुविवाह, सतीप्रथा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, पौराणिक काल।

प्राचीन काल के भारत में महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता था। परन्तु जैसे–जैसे समय बितता गया महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया और महिलाओं के प्रति लोगों की सोच बदलने लगी। बहुविवाह, सतीप्रथा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या आदि जैसे मामले उजागर होना आम बात हो गयी। बिगड़ते हालात को देखते हुए कुछ महान नेताओं तथा समाज सुधारकों ने इस दिशा में काम किया। उनके सुधावादी कार्यो का ही नतीजा था कि महिलाओं की बिगड़ती स्थिति पर काबू पाया जा सका। उसके बाद भारतीय सरकार ने भी इस दिशा में सकारात्मक कार्य किया। सरकार ने पंचायती राज प्रणाली में 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी ताकि वे राजनीति में भी आगे आगकर समाज की भलाई का कार्य कर सके। अगर हम आधुनिक काल के आलांवा मध्यकालीन और पौराणिक काल में महिलाओं की स्थिति पर गौर करे तो मध्यकालीन युग के मुकाबले पौराणिक युग में महिलाओं की सामाजिक स्थिति बेहतर थी। बदलते वक्त में समाज के अन्दर काफी कुरीतियों ने जन्म लिया जो महिलाओं की दशा और दिशा खराब करने में अहम भागीदार थी। मध्यकालीन युग में भारतीय समाज पुरूष प्रधान समाज बन गया था और औरतों को मात्र पुरूषों का गुलाम समझा जाने लगा था। महिलाओं से सिर्फ यही अपेक्षा की जाती थी कि वे पुरूषों की सन्तुष्टि का ध्यान रखे। परिणामस्वरूप धीरे–धीरे महिलाओं की स्थिति गिरती चली गयी और पुरूष उन पर इच्छा मनवाने का दबाव बनाने लगे। उन्हें घर की चहारदीवारी में कैद रखा जाता था। हालांकि आज 21वीं0 सदी में हमें महिलाओं पर होते ऐसे अत्याचारों की खबरें देखने सुनने को मिल जाती है पर आज की बात की जाय तो महिलायें हर क्षेत्र (जैसे राजनीति, सामाजिक कार्य, तकनीकी विभाग, खेल–कूद आदि) में यहां तक की रक्षा क्षेत्र में भी अपना योगदान बिना किसी डर के दे रहीं है। महिलायें हर जगह नेतृत्व करती दिख रही है बल्कि दूसरे शब्दों में कहा जाय तो पुरूषों से 2 कदम आगे है। सौ फीसदी तो नहीं लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि महिलायें अब अपने अधिकारों के लिए और भी अधिक जागरूक हो गयी है।

राजनीति के गलियारों में महिलाओं के बढ़ते कदम– ऐसा कहना तो गलत होगा कि स्वतंत्रता के पूर्व महिलाओं ने देश की राजनीति में भाग नहीं लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के विरूद्ध आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने भी पुरूशों के साथ अंग्रेजो से लोहा लिया। अनगिनत बार जनजातीय महिलाओं ने पुरूषों के साथ जमींदारों और अंग्रेज शासकों के विरूद्ध डटकर मोर्चा लिया था। लेकिन इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज नहीं है। देश की राजनीति का इतिहास इस दृष्टि से आधा अधूरा है। सामान्यतः हम उन महिलाओं का नाम राजनीति में दर्ज करते है जो उच्च वर्ग की थी। अंग्रेजी भाषा में दीक्षित थी। विदेशों में पढ़ी लिखी थी। वे स्त्रियां राजनीति में जिनमें स्वदेश की भावना थी। इस वर्ग की संघर्षशील महिलाओं ने देश की

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

स्वतंत्रता के आन्दोलन में बेहिचक भाग लिया था। अंग्रेजों के दण्डें खाये थे। जेल भी गयी थी और भूमिगत होकर स्वतंत्रता संग्राम की मशाल को थामे हुये थी। इनमें भारतरत्न अरूणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा मेहता, निर्मला देश पाण्डेय, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, रामगढ़ की रानी और रानी टेसबाई आबदी बानो बेगम (बाईअमन), विजय लक्ष्मी पण्डित, सुचेता कृपलानी आदि का नाम गिनाया जा सकता है।

73वां 74वां संविधान संशोधन– अनुच्छेद 243(घ)(3) के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की कम से कम एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जायेगी और ये सीटें नगर निगम के क्षेत्रों को बारी–बारी से आवंटित की जायेगी।

अनुच्छेद 243(घ)(4) के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इस स्तर पर पंचायतों के सभापति के कुल पदों में से कम से कम एक तिहाई पर महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

अनुच्छेद 243(न)(3) के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक नगर निगम के चुनाव में प्रत्येक चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुट सींटो की कम से कम एक तिहाई सींटे अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित सींटे नगर निगम के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को बारी–बारी से आवंटित की जायेगी।

अनुच्छेद 243(न)(4) के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए नगर निगमों में सभापतियों के पदों का आरक्षण कानून के जरिए उसी प्रकार उपलब्ध कराया गया जैसा राज्य का विधानमण्डल कानून द्वारा उपबन्धित करें।

73वां 74वां संविधान के अनुच्छेद 243 में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षण का प्रावधान एवं संविधान की धारा 243 डी में संषोधन के बाद पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत के बजाय 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

संसदीय प्रणाली– वास्तव में नारी की राजनीतिक चेतना स्वतंत्रा के पश्चात् पनपी। गत तीन दशकों में नारी की राजनैतिक क्षेत्र में सहभागिता में वृद्धि हुई है। इसकी पृष्ठभूमि में कहीं गहरे रूप में नारी को यह एहसास होने लगा कि उनकी असंख्या समस्याओं का निराकरण यह पुरूषवादी समाज नहीं करेगा। उन्हें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। सत्ता और शासन में भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचना कहीं आवश्यक हो गया है। वहां पहुंचकर ही महिलाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए महिला आवाज उठाने में समर्थ हो सकेगी। लोकतंत्री की शक्ति जनता में तो है पर संसदीय प्रणाली में जो प्रश्न संसद में उठाये जाते है उनका उत्तर और समाधान के तरीकें सरकार को बताने होते है। सम्बन्धित विभाग के मंत्री को स्पष्टीकरण देना होता है कि अमुक समस्या के निराकरण के लिए कौन–कौन से कदम उठाये जाते है। इसलिए 21वीं सदी की जागरूक और राजनीतिक महिलाओं ने यह आवाज बुलन्द की है कि संसद में उन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय। इसका सीधा सा अर्थ है कि लोकतंत्र में दबाव की राजनीति ही सफल होती है। संसद में अच्छी संख्या में महिला सांसद पहुंचेगी तो सरकार को उनकी बात, उनकी समस्या, उनके सुझाव पर गौर करना होगा। आधी दुनिया का सशक्तिकरण आर्थिक रूप से स्वावलम्बी होने पर तो होगा ही, पर राजनीतिक और सत्ता की शक्ति प्राप्त करके नारी सशक्तिकरण को वास्तविक बल प्राप्त होगा।

वर्तमान लोकसभा में 17 फीसदी महिला सांसद है। गौरतलब है कि 1951 में संसद में महिला सांसदों की संख्या 5फीसदी थी। इन वर्षो में संसद में महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत दोनों में वृद्धि हुई है। पहली लोकसभा 1952 में 24 महिला सांसद थी। वर्तमान लोकसभा (17वीं लोकसभा) में महिला सांसदों की संख्या 78 है। छः दशक एवं 17वीं लोकसभा चुनावों के दौरान लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या में 3गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। 2009 में 58 महिला संसद पहुंची थी, जबकि 2004 में 45, और 1999 में 49 महिलायें विजयी हुई थी। लोकसभा में सबसे कम महिलायें 1957 में दिखी थी, जब उनकी संख्या सिर्फ 22 थी।

महिला सांसदों की संख्या में होती वृद्धि में उल्लेखनीय अपवाद 1977 में 6वीं लोकसभा, 1989 में 9वीं लोकसभा और 2004 में 14वीं लोकसभा के दौरान देखी गयी है, जहां महिला सांसदों की संख्या में कमी हुई है। महिला सांसदो की मौजूदा औसत प्रतिनिधित्व (17फीसदी) राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधियों के राश्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक है, जो कि करीब नौ फीसदी है। लोकसभा की 543 में से 269 यानि करीब आधी सींटों पर आज तक एक भी महिला सांसद नहीं चुनी गयी।

इनमें गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का गुरूग्राम, कर्नाटक का मैसूर, मध्य प्रदेश का उज्जैन, तेलंगाना का

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

हैदराबाद और बिहार का नालन्दा शामिल है। उत्तर पूर्व के राज्य जहां समाज में औरतों का दर्जा बेहतर माना जाता है वहां भी राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व न के बराबर है। अरूणांचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य से एक भी महिला सांसद नहीं चुनी गयी है। महाराष्ट्र के पूणे, राजस्थान के अजमेर, तमिलनाडु के कन्याकुमारी, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और केरल के तिरूवन्तपुरम जैसे शहरों में एक ही बार महिला सांसद चुनी गयी है।

पंचायतों में महिलायें– पंचायतों के जरिये महिलाओं की भागीदारी बढ़ने का सिलसिला काफी आगे बढ़ चुका है। स्थानीय चुनावों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पूरे देश में बढ़ रहा है। इसके बेहद उत्साहजनक परिणाम भी सामने आ रहें है। उत्तर प्रदेश जहां 44 प्रतिशत से ज्यादा महिलायें प्रधान है, जबकि वहां इन्हें महज 33 प्रतिशत की आरक्षण प्राप्त है। इसी तरह झारखण्ड में 2010 के चुनाव में कुल 58प्रतिषत महिलायें चुनी गयी थी, जबकि वहां 50 प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है। मतदाता के तौर पर तो इनकी संख्या बढ़ रही थी, अब स्थानीय निकायों में महिलायें अधिक संख्या में चुनकर आ रही हैं।

फरवरी 2016 में केन्द्र सरकार ने स्थानीय चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव लाने की बात कही थी। सरकार उस बजट सत्र में इसके लिए एक विधेयक भी लाने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह विधेयक नहीं आ पाया। देश का संविधान पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करता है। देष में कुल 12. 70 लाख से ज्यादा निर्वाचित महिला प्रतिनिधि है। मतलब कुल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का 43.56 प्रतिषत बिहार देष का पहला राज्य था जिसमें महिलाओं को 50 प्रतिषत आरक्षण दे दिया। उत्तराखण्ड ने तो 55 प्रतिषत आरक्षण दे रखा है।

निष्कर्ष– सभी पहलुओं को ध्यान से देखा जाय तो धीरे–धीरे स्थिति अब बदल रही है। स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है, लामबंद भी। अब अधिक दिनों तक उन्हें उस हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, जिसकी मूठ पुरूष के हाथ में हो। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर राज्य व केन्द्र स्तर के महिला संगठन भी सरकार पर दबाव बनाकर उनकी सहायता के लिए आगे आ रहें है। इसलिए आषा करनी चाहिए कि सही मायने में शहरी स्त्री से अधिक सशक्त ग्रामीण स्त्री के सामाजिक सशक्तिकरण की मंजिल अब अधिक दूर नहीं है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत में महिलाओं की स्थिति पर निबन्ध A hindikiduniya.com
2. सिंह, वी0एन0, सिंह, जनमेजय, नारीवाद इक्कीसवीं सदी में नारीः यथार्थ व स्वप्न, रावत पब्लिकेशन जयपुर, पृ0सं0 400–401.
3. सिंह, मीना, डा0 जनक, भारत में मानवाधिकार और महिलायें, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ0सं0 82–83
4. सिंह, वी0एन0, सिंह जनमेजय (नारीवाद) इक्कीसवीं सदी में नारीः यथार्थ व स्वप्न, रावत पब्लिकेशन जयपुर, पृ0सं0 401–402.
5. www.newsstate.com 11.03.201965 साल में आधी सींटो पर आज तक नहीं चुनी गयी एक भी महिला सांसद।
6. 17.02.2017, चुनावी राजनीति में महिला मतदाताओं का बढ़ता रूतबा www.downtoearth.org.in
7. व्होरा, आषारानीः औरतः, कल , आज और कल, कल्याण शिक्षा परिषद दरियागंज, नई दिल्ली पृ0सं0 461.

*****